(भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-1, खण्ड-1 में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय
उद्योग भवन, नई दिल्ली-110011

सार्वजनिक सूचना सं0 35 (आर0ई0-2010)/2009-2014
दिनांक: 1 मार्च, 2011

विषयः प्रक्रिया पुस्तक, खण्ड 1 के पैरा 8.3.1 और परिशिष्ट आयात-निर्यात प्रपत्र 8 में संशोधन।

विदेश व्यापार नीति, 2009-2014 के पैरा 2.4 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रक्रिया पुस्तक, खण्ड-1, 2009-2014 (आरई-2010) में निम्नलिखित संशोधन किए जा रहे हैं:-

2. प्रक्रिया पुस्तक, खण्ड 1 के पैरा 8.3.1 में संशोधन:

मौजूदा पैराग्राफ

" निर्धारित दस्तावेजों के साथ आयात निर्यात प्रपत्र 8 में आवेदन, संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी को पंजीकृत कार्यालय या मुख्य कार्यालय या शाखा कार्यालय या आपूर्तिकर्ता की विनिर्माण इकाई द्वारा किया जाएगा । जहाँ आवेदक आपूर्तिकर्ता शाखा कार्यालय या विनिर्माण इकाई है, वह वैध आर सी एम सी की स्व-सत्यापित प्रति प्रस्तुत करेगा । प्राप्तकर्त्ता, निर्धारित दस्तावेजों के अलावा सैनवैट क्रेडिट का लाभ न उठाने के संबंध में आयात निर्यात प्रपत्र 8 के अनुलग्नक II में दिए प्रपत्र में एक स्व-घोषणा सहित आयात निर्यात प्रपत्र 8 के अनुलग्नक III में दिए प्रपत्र के आपूर्तिकर्ता से उपयुक्त गैर दावा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर लाभों का दावा कर सकता है।"

संशोधित पैराग्राफ (परिवर्तनों को मोटे अक्षरों में दर्शाया गया है)

" निर्धारित दस्तावेजों के साथ आयात निर्यात प्रपत्र 8 में आवेदन, संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी को पंजीकृत कार्यालय या मुख्य कार्यालय या शाखा कार्यालय या

आपूर्तिकर्ता की विनिर्माण इकाई द्वारा किया जाएगा । जहाँ आवेदक आपूर्तिकर्ता शाखा कार्यालय या विनिर्माण इकाई है, वह वैध आर सी एम सी की स्व-सत्यापित प्रति प्रस्तुत करेगा। **प्राप्तकर्ता, आयात निर्यात प्रपत्र 8 के अनुलग्नक III में आपूर्तिकर्ता से उपयुक्त घोषणा प्रस्तुत करने पर ड्रॉबैक लाभ का भी दावा कर सकता है। टीईडी वापसी के मामले में, वस्तुओं के प्राप्तकर्ता द्वारा उच्च निर्धारित दस्तावेजों के अलावा सेनवैट क्रेडिट का लाभ न उठाने के संबंध में आयात निर्यात प्रपत्र 8 के अनुलग्नक II में दिए गए प्रपत्र में एक घोषणा- पत्र प्रस्तुत किया जाएगा। "**

<u>इस संशोधन का प्रभाव</u>

ये संशोधन टीईडी और मान्य निर्यात ड्रॉबैक वापसी का दावा करने हेतु दी जाने घोषणाओं को स्पष्ट करेंगे। प्रथम दो वाक्यों के मौजूदा पैराग्राफों को परिवर्तित नहीं किया गया है। मौजूदा पैरा के तीसरे वाक्य को अब दो अलग-अलग वाक्यों (एक ड्रॉबैक वापसी और दूसरा टीईडी वापसी से संबंधित) में विभाजित किया किया गया है।

3. आयात निर्यात प्रपत्र 8 के अनुलग्नक II के प्रपत्र में संशोधनः

[निम्नलिखित को छोड़कर प्रपत्र अनिवार्यतः समान हैः

i) शीर्षक को "सेनवैट क्रेडिट का लाभ न उठाने के संबंध में स्वघोषणा का प्रपत्र" से परिवर्तित कर "अन्तिम उत्पाद शुल्क (टीईडी) का लाभ का दावा करने के लिए घोषणा" किया जाता है।

ii) कुछ अतिरिक्त ब्यौरे जैसे दूरभाष, ईमेल, फैक्स न. समाविष्ट किए जा रहे हैं।

iii) यह घोषणा वस्तुओं के प्राप्तकर्ता के पत्र शीर्ष पर दी जानी है]

<u>संशोधित प्रपत्र</u>

<u>अंतिम उत्पाद-शुल्क (टीईडी) से लाभ का दावा करने के लिए घोषणा</u>

यह प्रमाणित किया जाता है कि केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियमों के तहत इन मदों की आपूर्ति पर हमारे द्वारा कोई सेनवैट क्रेडिट छूट का लाभ नहीं लिया गया है, नहीं भविष्य में लाभ लिया जाएगा।

हस्ताक्षर (प्राधिकृत हस्ताक्षर कर्ता) :
पूरा नाम :
पदनाम :
कम्पनी का नाम :
दूरभाष संख्या :
ई - मेल पता :
फैक्स सं0 :

टिप्पणी : माल के प्राप्तकर्ता के पत्र शीर्ष पर दिया जाए ।

<u>इस संशोधन के प्रभाव :</u>

इस संशोधन से स्पष्ट होता है कि अनुलग्नक 2 घोषणा टीईडी के लाभ से संबंधित है और माल के प्राप्तकर्ता द्वारा दी जानी अपेक्षित है ।

4. ए एन एफ 8 के अनुलग्नक 3 के प्रपत्र में संशोधन
(संशोधित प्रपत्र में, निम्नलिखित परिवर्तन किए गए हैं :

i) "मान्य निर्यात लाभों के लिए डिस्क्लेमर प्रमाणपत्र" शीर्षक को "मान्य निर्यात वापसी का दावा करने के लिए घोषणा-पत्र" में बदल दिया गया है ।

ii) अनुलग्नक 3 के पैरा 1 में "कि आपूर्तित माल के लिए सेनवैट क्रेडिट का लाभ नहीं उठाया गया है" के स्थान पर वाक्यांश "कि उपर्युक्त आपूर्तियों में प्रयुक्त निविष्टि/संघटकों के लिए सेनवैट सुविधा का लाभ नहीं उठाया गया है" जोड़ा जाता है ।

iii) पैरा 3 में, वाक्यांश "माल के प्राप्तकर्ता द्वारा लाभों का दावा किए जाने के मामले में दिया जाना अपेक्षित" जोड़ा गया है ।

iv) पैरा 3 में वैकल्पिक घोषणा-पत्र जोड़ा गया है जोकि डीटीए आपूर्तिकर्ताओं द्वारा लाभों का दावा किए जाने के मामले में दिया जाना अपेक्षित है ।

v) पैरा 4 जोड़ा गया है जिसमें आपूर्तिकर्ता को क्षेत्राधिकार सहायक/केन्द्रीय उत्पाद प्रभाग के उपायुक्त को पूरा पता देना होगा ।

vi) कुछ और विवरण जैसे, दूरभाष, फैक्स और ई मेल जोड़े जा रहे हैं ।

vii) एक टिप्पणी जोड़ी गई है कि यह डिस्क्लेमर प्रमाण-पत्र फर्म के पत्र शीर्ष पर दिया जाए और घोषणा-पत्र अनुलिपि में दिया जाना आवश्यक है ।)

- <u>संशोधित प्रपत्र</u>

मान्य निर्यात वापसी का दावा करने के लिए घोषणा

मैं, (नाम व पदनाम).. मैसर्स .... (आपूर्तिकर्त्ता का नाम एवं पता) की ओर से एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि हमने मैसर्स .... (प्रापक का नाम एवं पता) को निम्नलिखित माल की आपूर्ति कर दी है :

क्र0सं0	बीजक सं0 एवं तिथि	माल का ब्यौरा	इकाई	मात्रा	मूल्य

1. हम विनिर्माता निर्यातक/आपूर्तिकर्ता हैं और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से पंजीकृत हैं/पंजीकृत नहीं हैं तथा हमने पूर्वोक्त आपूर्तियों में प्रयुक्त निविष्टि/संघटकों के संबंध में सेनवेट सुविधा का लाभ नही लिया है और नहीं लेंगे । हमने पूर्वोक्त आपूर्तियों में प्रयुक्त निविष्टियों/संघटकों पर छूट भी प्राप्त नहीं की है और न ही प्राप्त करेंगे ।

अथवा

हम आपूर्तिकर्ता हैं और हमारे सहायक विनिर्माता केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से पंजीकृत हैं/पंजीकृत नहीं हैं तथा हमने पूर्वोक्त आपूर्तियों में प्रयुक्त निविष्टि/संघटकों के संबंध में सेनवैट सुविधा का लाभ नही लिया है और नहीं लेंगे ।

2. हम यह भी प्रमाणित करते हैं कि पूर्वोक्त आपूर्तित वस्तुओं के संबंध में हमें कोई अग्रिम प्राधिकार पत्र/शुल्क मुक्त आयात प्राधिकार पत्र जारी नहीं किया गया है और हमने उस पर कोई लाभ प्राप्त नहीं किया है ।

3. आगे हमारा कथन है कि मान्य निर्यात के लिए हमने कोई लाभ नहीं लिया है और न ही लेंगे और हमें कोई आपत्ति नहीं होगी यदि मैसर्स .... (प्रापक का नाम एवं पता) उपरोलिखित आपूर्तियों पर मान्य निर्यात लाभ लेते हैं । (माल के प्रापक द्वारा लाभ का दावा किए जाने के मामले में दिया जाना अपेक्षित है ।)

अथवा

हमने मैसर्स ....(प्रापक का नाम एवं पता) को गैर दावा प्रमाण पत्र नहीं दिया है और मान्य निर्यात लाभों का दावा करने के लिए इन आपूर्तियों के संबंध में भविष्य में गैर दावा प्रमाण पत्र नहीं देंगे (डी टी ए आपूर्तिकर्ताओं द्वारा लाभ का दावा किए जाने के मामले में दिया जाना अपेक्षित है ।)

4. केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क प्रभाग के क्षेत्राधिकारी सहायक/उपायुक्त का पूरा पता निम्नानुसार दिया गया है :-

भवदीय,

हस्ताक्षर (प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)
पूरा नाम
पदनाम
कंपनी का नाम
दूरभाष संख्या
ई-मेल
पता
फैक्स सं0

टिप्पणी : घोषणा आपूर्तिकर्ता के पत्र-शीर्ष पर दी जानी है । आपूर्तिकर्ता द्वारा विकास आयुक्त के कार्यालय/संयुक्त महानिदेशक, विदेश व्यापार के कार्यालय को प्रस्तुत की गई सूचना क्षेत्राधिकारी सहायक/केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क प्रभाग के उपायुक्त के पूरे पते के साथ दो प्रतियों में होनी चाहिए। विकास आयुक्त/संयुक्त महानिदेशक, विदेश व्यापार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क प्रभाग के उपायुक्त/सहायक को मोहर युक्त, घोषणा की दूसरी प्रति अग्रेषित करेगा ।

इस संशोधन का प्रभाव :-

यह संशोधन इसे स्पष्ट करेंगे कि अनुलग्नक III शुल्क वापसी लाभों का दावा करने के लिए दिया जाना अपेक्षित है ।

(अनुप के0 पूजारी)
महानिदेशक, विदेश व्यापार
ई मेल : dgft@nic.in

(फा0सं0 01/92/180/74/ए एम 11/पीसी-6 से जारी)